राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

विषयः– प्रक्रियाधीन भर्तियों में विशेष योग्यजनों को आरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 101 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 दिनांक 23.01.2019 को जारी किये गये है, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 24.01.2019 को किया जा चुका है। इस नियमों के तहत विशेष योग्यजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तदानुसार यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के लागू होने की दिनांक 24.01.2019 के समय प्रक्रियाधीन समस्त भर्तियों में विशेष योग्यजनों को पूर्व में देय आरक्षण 3 प्रतिशत के स्थान पर इन नियमों के तहत देय 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगाः–

- दिव्यांगजन आरक्षण क्षैतिज होने के कारण बढा हुआ आरक्षण विज्ञापित पदों की संख्या के आधार पर ही देय है तथा इसके फलस्वरूप भर्ती प्रक्रिया किसी भी स्तर पर होने पर भी, सामान्यतया अतिरिक्त पद सृजित करवाये जाने की आवश्यकता नही रहेगी।
- उक्त नियम/अधिसूचना के प्रावधान भर्तियों में लागू होने के परिप्रेक्ष्य में उन भर्तियों को पूर्ण मान लिया जाएगा जिनमें अभिस्तावना प्राप्त होने के उपरान्त उनमे से यदि किसी एक अभ्यर्थी का भी नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका है; ऐसी भर्ती की शेष रही नियुक्तियों के लिए वही नियम/अधिसूचना के प्रावधान इत्यादि लागू रहेंगे जो प्रथम नियुक्ति आदेश के समय लागू थे।

अतः समस्त प्रशासनिक विभाग सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

18/9/19

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अति० मुख्य सचिव/प्र० शासन सचिव/शासन सचिव
शासन सचिवालय, जयपुर

अशा० टीप सं० प० प. 7(2)कार्मिक/क–2/19
दिनांकः [illegible]EP 2019
प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप शासन सचिव